संख्या-458/2023/382/22-2-2023-17(366)/2022

प्रेषक,

मदन मोहन,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 26 जुलाई, 2023

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पवन कुमार उर्फ मोनू मित्तल पुत्र श्री सुलक्षण मित्तल, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1840/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-16.10.2023) दिनांक-19.01.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पवन कुमार उर्फ मोनू मित्तल पुत्र श्री सुलक्षण मित्तल, मो0 तीरथ कस्बा व थाना-गोला, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। दिनांक 19.11.2005 को बन्दी ने पेट्रोल पम्प सीज करने की रंजिश में अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल, पिस्टल व रिवाल्वर से गोली मारकर सेल्स आफिसर इंडियन आयल मंजूनाथ नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-292/2006 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 201, 120बी0, 404, 411 व 30ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 26.03.2007 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 11.12.2009 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 11.03.2015 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.01.2023 तक 17 वर्ष 01 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 04 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी को समयपूर्व रिहा किया जाता है तो पुनः अपराध कारित कर सकता है, पुनः अपराध करने में सशक्त होने, जेल में आगे और निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 19.11.2005 को बन्दी ने पेट्रोल पम्प सीज करने की रंजिश में अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, पिस्टल व रिवाल्वर से गोली मारकर सेल्स ऑफिसर इंडियन ऑयल मंजूनाथ नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पवन कुमार उर्फ मोनू मितल पुत्र श्री सुलक्षण मित्तल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पवन कुमार उर्फ मोनू मित्तल (बन्दी संख्या-48545) पुत्र श्री सुलक्षण मित्तल, निवासी जनपद-लखीमपुर खीरी के फार्म-ए/लाइसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
मदन मोहन
विशेष सचिव।

संख्या-458/2023/382(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) सं0-336/2019 रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-458/2023/382/22-2-2023-17(366)/2022

दिनांक 26 जुलाई, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पवन कुमार उर्फ मोनू मित्तल पुत्र श्री सुलक्षण मित्तल, मो0 तीरथ कस्बा व थाना-गोला, जनपद-लखीमपुर खीरी का निवासी है। दिनांक 19.11.2005 को बन्दी ने पेट्रोल पम्प सीज करने की रंजिश में अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर रायफल, पिस्टल व रिवाल्वर से गोली मारकर सेल्स आफिसर इंडियन आयल मंजूनाथ नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-292/2006 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 201, 120बी0, 404, 411 व 30ए एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी के आदेश दिनांक 26.03.2007 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया, मा0 उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ के आदेश दिनांक 11.12.2009 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया गया एवं मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 11.03.2015 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 15.01.2023 तक 17 वर्ष 01 माह 03 दिन की अपरिहार सजा तथा 22 वर्ष 04 माह 03 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी को समयपूर्व रिहा किया जाता है तो पुनः अपराध कारित कर सकता है, पुनः अपराध करने में सशक्त होने, जेल में आगे और निरुद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन करते हुए रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 19.11.2005 को बन्दी ने पेट्रोल पम्प सीज करने की रंजिश में अपने 07 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर राइफल, पिस्टल व रिवाल्वर से गोली मारकर सेल्स ऑफिसर इंडियन ऑयल मंजूनाथ नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज ऑन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पवन कुमार उर्फ मोनू मितल पुत्र श्री सुलक्षण मित्तल को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

मदन मोहन

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।